



कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2026/राजकाज रेफरेंस नंबर 173

दिनांक :- ई हस्ताक्षर

11/2/26

--:: कार्यालय आदेश ::--

अनुमोदित ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रयोजनार्थ) खसरा संख्या 112/455 एवं 677/673 ग्राम सोगरिया क्षेत्रफल 19700 वर्गमीटर का ले-आउट प्लान का समिति की बैठक दिनांक 31/07/2024 में लिये गए निर्णयानुसार अनुमोदन किया गया था। उक्त योजना में आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.5 प्रतिशत में भूखण्ड सं0 डी-77 से डी-85 (कुल 09 भूखण्ड) क्षेत्रफल 16092 वर्गफीट आरक्षित किये गये थे।

योजना में आंतरिक विकास कार्य बाबत चार्टर्ड इंजीनियर के पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 30/09/2025 एवम् अभियांत्रिकी शाखा (सिविल/विद्युत/जल) की रिपोर्ट के आधार पर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के दृष्टिगत आरक्षित भूखण्ड सं0 डी-77 से डी-85 (कुल 09 भूखण्ड) क्षेत्रफल 16092 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किये जाने प्रस्तावित है।

इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 12/1/2016 के अनुसार आरक्षित भूखण्डों के 10 प्रतिशत भूखण्डों की आरक्षित दर का 120 प्रतिशत अर्थात आरक्षित दर + आरक्षित दर का 20 प्रतिशत के आधार पर कीमत की 3 वर्ष के लिए बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. लिए जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, कोटा की एफडीआर (कस्टमर आई.डी. 207795297) दिनांक 28/01/2026 राशि 12,56,220.00 रु. (अक्षरे बारह लाख छपपन हजार दो सौ बीस रुपये मात्र) प्रस्तुत की गई है, जिसके फलस्वरु भूखण्ड सं0 डी-77 से डी-85 (कुल 09 भूखण्ड) क्षेत्रफल 16092 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किए जाते हैं।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) उपायुक्त (.....), कोटा विकास प्राधिकरण।
- (2) रजिस्टार, रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, उद्योग भवन, द्वितीय व तृतीय तल, आर.एस.आई. सी. विंग, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर।
- (3) श्री गिरीराज प्रसाद पुत्र श्री बाबूलाल निवासी प्रेमनगर चौराहा फर्स्ट, पूजा साईकिल की गली, कोटा (राज0) (राज0)।

सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Mukesh Kuma
Choudhary
Designation : Secretary
Date: 2026.02.11 16:47:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20478724

1 (I)

